न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 62/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/192

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.चौथाराम पुत्र हुकमाराम 2.बीबादेवी पत्नी चौथाराम जाति मेधवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा		1.तुलछाराम पुत्र सांवलाराम 2.पारसराम पुत्र सांवलाराम 3.रमेश पुत्र सांवलाराम 4.गंगादेवी पत्नी सांवलाराम 5.गौतमराम पुत्र सांवलाराम 6.धापु पुत्री चूनाराम 7.लूणा पुत्री चूनाराम 8.वरजूदेवी पुत्री चूनाराम 9.शान्तिदेवी पत्नी चूनाराम जाति मेधवाल निवासी बुड़ीबाड़ा तहसील पचपदरा 10.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीगण

2.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5

3. प्रतिवादी संख्या 06 से 10 एकतरफा।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक— 27/10/2025

संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 554 क्षेत्रफल 4.5082 हैक्टयर ,खसरा संख्या 246 क्षेत्रफल 1.1412 हैक्टयर व खसरा संख्या 244 क्षेत्रफल 1.5702 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 17.09.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय—पक्षकारान अधिवक्ताओ द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 554 क्षेत्रफल 4.5082 हैक्टयर ,खसरा संख्या 246 क्षेत्रफल 1.1412 हैक्टयर व खसरा संख्या 244 क्षेत्रफल 1.5702 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	वरंग
1	चौथाराम पुत्र हुकमाराम हि. 2/3 बीबादेवी पत्नी चौथाराम 1/3 हिस्सा जाति मेघवाल सा. बुड़ीवाड़ा रहन चौथाराम का हि. एस.बी.आई शाखा टापरा	बुड़ीवाड़ा	246 554	0.4006 1.6785	बा.दो. बा.सो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	गंगादेवी पत्नि सांवलराम 2/3, गौतमराम 1/6,तुलछाराम 1/6, पारसराम 1/6,रमेश 1/6 पि. सांवलराम जाति मेघवाल सा. बुड़ीवाड़ा	बुड़ीवाड़ा	246 554	0.4006 1.6785	बा.दो. बा.सो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	चौथाराम पुत्र हुकमाराम वगैरह गंगा पत्नि सांवलराम वगैरह धापु वगैरह हिस्से बदस्तुर जमाबंदी रास्ता हेतु शामलाती	बुड़ीवाड़ा	246 554	0.0728 0.0322	बा.दो. बा.सो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
4	धापु 1/4 लूणी 1/4 वरजू 1/4 पुत्रियां चुनाराम शांति पत्नि चूनाराम मेगवाल सा. बुड़ीवाड़ा	बुड़ीवाड़ा	246 554 244	0.2671 1.1190 0.5234	बा.दो. बा.सो. बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
5	चौथाराम पुत्र हुकमाराम मेगवाल सा. बुड़ीवाड़ा	बुड़ीवाड़ा	244	0.5234	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
6	गौतमराम 1/4 तुलछाराम 1/4 पारसराम 1/4 रमेश 1/4 पि. सांवलराम मेगवाल	बुड़ीवाड़ा	244	0.5234	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

27/10/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

27/10/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— **अशोक कुमार, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :— **62/2023**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— **2023/192**

वादीगण	वनाम	प्रतिवादी
1.चौथाराम पुत्र हुकमाराम 2.वीवादेवी पत्नी चौथाराम जाति मेधवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा		1.तुलछाराम पुत्र सांवलाराम 2.पारसराम पुत्र सांवलाराम 3.रमेश पुत्र सांवलाराम 4.गंगादेवी पत्नी सांवलाराम 5.गौतमराम पुत्र सांवलाराम 6.धापु पुत्री चूनाराम 7.लूणा पुत्री चूनाराम 8.वरजूदेवी पुत्री चूनाराम 9.शान्तिदेवी पत्नी चूनाराम जाति मेधवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा 10.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 62/2023
निर्णय दिनांक :—27.10.2025

वादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री पुनमाराम अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 6 से 10 एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर वालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** किः—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताविक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) न्यायालय

27/10/25

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	———	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा